



पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)



केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी" प्लॉट सं. 2, सैक्टर-29, गुडगाँव-122 001, (हरियाणा) दूरभाष: 0124-2571700-719, फ़ैक्स : 0124-2571762,
"Saudamini" Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon-122 001, (Haryana) Tel. : 0124-2571700-719, Fax : 0124-2571762, Web.: www.powergridindia.com

के.आ./के.आ./सू.अ/2015/62

दिनांक : 1 जुलाई, 2015

श्री वी के गौड़

मकान संख्या - 115, गली न. 8

कान्ती नगर, एकस्टेंशन, दिल्ली- 110 051

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21 मई, 2015 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी मांगी थी। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी निम्नलिखित है:

उत्तर 1,2,3,4 एवं 9

मांगी गई सूचना लगभग 17- 22 वर्ष पुरानी है तथा तत्काल में इस प्रारूप में सुलभता से उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में यह स्कीम पावरग्रिड में लागू नहीं है।

उत्तर 5, 6, 7 एवं 12

वांछित सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र-1 से संबंधित है अतः आपको उत्तरी क्षेत्र-1 द्वारा सीधे प्रदान की जाएगी।

उत्तर 11

मांगी गई सूचना आपके आरटीआई दिनांक 03/04/2014 के जवाब में पावरग्रिड द्वारा पहले 14/07/2014 को प्रदान कर दी गई है जिसकी कापी संलग्न है।

उत्तर 10

आपके द्वारा मांगी गई जानकारी **अनुबंध क** पर संलग्न है।

उत्तर 8

पावरग्रिड में स्पेशल अलौअंस का नियंत्रण डीपीई गाइडलाइन संख्या 2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 दिनांक 26.11.2008 के अनुसार किया जा रहा है। उपरोक्त डीपीई के गाइडलाइन, डीपीई के वेबसाइट www.dpe.nic.in पर उपलब्ध है तथा कारपोरेट एच आर परिपत्र रेफ सी.मा.सं.औ.सं.वे.वे.पु.09 दिनांक 23.10.2009 एवं / रेफ सी.मा.सं.औ.सं.वे.वे.पु दिनांक

23.10.2010 विभागीय परिपत्र के अनुसार किया जाता है जो पावरग्रिड वेबसाइट
www.hr.powergridindia.com पर उपलब्ध है ।

आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के प्रावाधान के अनुसार अपीलीय अधिकारी का विवरण
निम्नानुसार :

श्री बी. मिश्रा


कार्यपालक निदेशक (के.आ. एवं आईटी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

'सौदामिनी', प्लॉट नं. 2, सैक्ट, 29-गुड़गांव, 122001-हरियाणा

धन्यवाद ।

भवदीय,


(सुधीर मित्तल) 1.7.15

महाप्रबंधक एवं (के.आ.के) के.लो.सू.अधिकारी

अनुबंध- क

Reply 10: It is not clear from the question that what specific document you require, However, in respect of Sh. P. N Chopra, it is stated that, he had qualified the POWERGRID's departmental exam in Civil discipline in the year 1997. This is a recognized qualification for the purpose of promotion from S4/SG to E1 in POWERGRID.



पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)



केन्द्रीय कार्यालय: 'सौदामिनी' प्लॉट सं. 2, सेक्टर-29, गुडगाँव-122 001, (हरियाणा) दूरभाष: 0124-2571700-719, फैक्स : 0124-2571762,
"Saudamini" Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon-122 001, (Haryana) Tel. : 0124-2571700-719, Fax : 0124-2571762, Web.: www.powergridindia.com

के.आ./के.आ./सू.अ/2014/32

दिनांक : 14 जुलाई, 2014

श्री विनोद कुमार गौड़
मकान न. सी- 115,
गली न. 8, कान्ति नगर,
नई दिल्ली 110 051

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 3.4.2014 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विद्युत मंत्रालय से जानकारी मांगी थी। आपका उपरोक्त पत्र विद्युत मंत्रालय के पत्र दिनांक 1 मई, 2014 द्वारा आपको सीधे जवाब देने के लिए अग्रेषित किया गया है। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी निम्नलिखित है।

- 1) श्री गौड़ का उत्तरी क्षेत्र-1 से दक्षिणी क्षेत्र-2 में स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया था।
- 2) श्री गौड़ के स्थानांतरण से संबंधित अनुमोदन संलग्न है।
- 3) मांगी गई सूचना अत्यधिक मात्रा में है। इसके संकलन करने में लोक प्राधिकरण के स्रोत अननुपाती रूप से विचलित होंगे और इसके प्रकटीकरण में कोई व्यापक सार्वजनिक हित शामिल नहीं है। यदि किसी विशेष मामले/व्यक्ति से संबंधित सूचना चाहिए तो वह दी जा सकती है।
- 4) केन्द्रीय कार्यालय में किसी कार्मिक के एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलाव को स्थानांतरण माना जाएगा।
- 5) ट्रांसफर पालिसी/गाइडलाइन्स के संबंध में जानकारी पावरग्रिड इंटरनेट वेबपेज पर जाकर पर्सनल मेन्युअल को देखा जा सकता है।
- 6) मांगी गई सूचना अत्यधिक मात्रा में है। इसके संकलन करने में लोक प्राधिकरण के स्रोत अननुपाती रूप से विचलित होंगे और इसके प्रकटीकरण में कोई व्यापक सार्वजनिक हित शामिल नहीं है। यदि किसी विशेष मामले/व्यक्ति से संबंधित सूचना चाहिए तो वह दी जा सकती है।
- 7) नहीं।
- 8) संबंधित नहीं है।
- 9) व्याख्या/राय/जवाब पूछना आदि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- 10) मांगी गई सूचना अत्यधिक मात्रा में है। इसके संकलन करने में लोक प्राधिकरण के स्रोत अननुपाती रूप से विचलित होंगे और इसके प्रकटीकरण में कोई व्यापक सार्वजनिक हित शामिल नहीं है। यदि किसी विशेष मामले/व्यक्ति से संबंधित सूचना चाहिए तो वह दी जा सकती है।

आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के प्रावाधान के अनुसार अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार :

श्री बी. मिश्रा

कार्यपालक निदेशक (के.आ. एवं आईटी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय


पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

"सौदामिनी", प्लॉट नं. 2, सैक्टर, 29-

गुड़गांव, 122001-हरियाणा

धन्यवाद ।

भवदीय,



(सुधीर मिस्तल) / 4.7.14

महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

o/c

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

(केंद्रीय मानव संसाधन विभाग)


संदर्भ : के/मा०सं०/स्थापना/स्थानांतरण/12

दिनांक : 04 अक्टूबर, 2010

कार्यालय आदेश सं० - 116/2010

श्री वी०के० गौड़, कर्मचारी संख्या 10520, सहायक (वित्त) ग्रेड-2 को उत्तरी क्षेत्र-1 से स्थानांतरित करके एतद्वारा तत्काल प्रभाव से दक्षिणी क्षेत्र-2 में तैनात एवं उत्तरी क्षेत्र-1 से आज दिनांक 04.10.2010 से कार्यमुक्त किया जाता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कार्यपालक निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र-2) को अग्रिम निर्देशों हेतु रिपोर्ट करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(भावना माथुर)

मुख्य प्रबंधक (मा०सं०)

वितरण :

- श्री वी०के० गौड़
कर्मचारी संख्या 10520
सहायक (वित्त) ग्रेड-2
उत्तरी क्षेत्र-1
- द्वारा : कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र-1)
- महाप्रबंधक (मा०सं०वि०)/अपर महाप्रबंधक (मा०सं०)/उप महाप्रबंधक (प्रशासन)
- मा०सं०/वित्त एवं लेखा प्रमुख - उत्तरी क्षेत्र-1/दक्षिणी क्षेत्र-2
- सचिव, पावरग्रिड ई०पी०एफ०/ई०जी०एफ०/पेंशन ट्रस्ट
- मुख्य प्रबंधक (औद्योगिक/वित्त-स्थापना)/प्रबंधक (पदोन्नति)
- कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र-1/दक्षिणी क्षेत्र-2/मा०सं० एवं प्रशासन) को कार्यपालक/निजी सचिव के माध्यम से
- द्वैविक/कार्यालय आदेश/मास्टर फाईल

Confidential

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.
(Corporate HR Department)

Date: October 3, 2010

Ref: C:HR:ESTT:

Sub : Transfer of officials from NRTS-I

Placed below is the IOM from Vigilance Deptt dated 1.10.2010 regarding transfer of Shri A.K.Garg, DGM(HRD), Ballabgarh and Shri V.K.Gaur, Assisstant (Finance), POWERGRID, Mundka, NRTS-I.

In the said IOM, it has been intimated that Sh A.K.Garg and Sh V.K. Gaur are using the official computers and accessories of HRD Centre, Ballabgarh, POWERGRID, for making false complaints/allegations. Further, it was also seen that hard disc of these computers are having a large number of files containing obscene images. It is also found that unauthorized software was used in these computers. The report of the verification was put up to the CMD and it has been advised that pending detailed investigation, these two officials may be transferred out of NRTS-I.

Accordingly, keeping the above in view and as discussed, it is proposed to transfer these officials as shown in front of their names, with immediate effect. Also, upon approval these officials shall stand released along with their respective transfer Orders.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Emp. no.	Desig.	Present posting	Posting on transfer	Reporting
1	A.K.Garg	11005	DGM (HRD)	NRTS-I	EDC, Misa, NERTS	ED(NERTS)
2	V.K.Gaur	10520	Asstt. GR-II (Fin)	NRTS-I	SRTS-II	ED (SRTS-II)

Submitted for kind approval, please.

HHH
3/10/10
(Bhavna Mathur)
CM (HR)

AGM (HR) *3/10*

ED (HR&Admn) - OT

Dir (Pers) *3/10*

CMD *3/10*